Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 08/2019

Gopal Soren & Ors ..... Appellants.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	03.08.2023	**आदेश** प्रस्तुत अपील न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, पूर्णिया द्वारा BLDR वाद सं0–33/2017–18 में दिनांक–31.11.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु एक पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि माह नवंबर में एकतीस तारीख नहीं होता है। उत्तरवादी सं0–02 के द्वारा निम्न न्यायालय में मौजा–प्रसादपुर, थाना–130, खाता सं0–69, खेसरा सं0–884, रकवा–1.02 एकड़ भूमि से संबंधित वाद दायर किया गया था जिसमें इसका दावा है कि उक्त भूमि बंदोबस्ती वाद सं0–04/1984–85 से इन्हें प्राप्त है। जबकि अपीलार्थियों का कथन है कि मूल भू–स्वामियों द्वारा उक्त भूमि बिक्री की गई। निम्न न्यायालय द्वारा पक्षकारों की सुनवाई करते हुए इनके विरूद्ध आदेश पारित किया गया जो सही नहीं है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। निम्न न्यायालय द्वारा इनके दस्तावेजों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है। उत्तरवादी सं0–02 के द्वारा लालकार्ड में हस्तकौशल (Manipulation) करते हुए दावा किया जा रहा है जो अवैध है। बंदोबस्ती वाद सं0–04/1984–85 द्वारा किसी अन्य भगवान किस्कू पिता–दुर्गा किस्कू के नाम उक्त भूमि बंदोबस्त की गई थी एवं इनके पक्ष में जमाबंदी संख्या–582 दर्ज है। लेकिन उत्तरवादी सं0–02 भगवान हासदा, पिता–स्व0 पुतहा हासदा द्वारा जालसाजी के आधार पर दावा किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि अन्य भूमि सहित प्रश्नगत भूमि मूलतः निर्मला देवी के नाम से है जो दखलकार रहते हुए विक्रय संलेख सं0–14395 द्वारा वर्ष 1961 में गुलटेन महतो पिता–बाबूलाल महतो के नाम बिक्री कर दी। गूलटेन महतो दखलकार रहते हुए नामांतरण कराकर भू–लगान भुगतान किया जाता रहा। निर्मला देवी द्वारा उक्त खाता खेसरा से 55 डी0 भूमि वर्ष 1961 में ही विक्रय संलेख सं0–14279 द्वारा विन्देश्वरी यादव के पास बिक्री की गई। इस प्रकार भू–स्वामी निर्मला देवी द्वारा कई भूखंड कई लोगों के पास बिक्री की गई। वर्ष 1973–74 में निर्मला देवी के	

Web Copy Not Official.

		खिलाफ सिलिंग वाद सं0–57/1973–74 प्रारंभ की गई। जिसमें गुलटेन महतो एवं विन्देश्वरी यादव द्वारा उक्त भूमि पूर्व में क्रय करने के आधार पर आपत्ति दर्ज की गई। सिलिंग प्राधिकार द्वारा सुनवाई पश्चात् इनकी क्रय भूमि को क्रमशः	
	लगातार 03.08.2023	सिलिंग प्रक्रिया से अलग कर दिया और अंतिम अधिसूचना सं0–2280 दिनांक–13.5.1984 प्रकाशित की गई। विन्देश्वरी यादव द्वारा क्रय की गई भूमि अपीलार्थी सं0–04, 05 एवं 06 के पिता–रामेश्वर सोरेन पिता–जुगल सोरेन के पास विक्रय संलेख सं0–5114 दिनांक–28.03.1984 द्वारा बिक्री की गई। जिसपर ये दखलकार रहते हुए नामांतरण कराकर भू–लगान भुगतान कर रहे हैं। इसी प्रकार गुलटेन महतो के पुत्र मुसहरू महतो द्वारा 37 डी0 भूमि विक्रय संलेख सं0–12838 दिनांक–02.11.2001 द्वारा अपीलार्थी सं0–01 गोपाल सोरेन के पक्ष में निष्पादित किया गया जिसपर ये दखलकार होकर भू–लगान भुगतान कर रहे हैं। मूसहरू महतो द्वारा ही उक्त खाता खेसरा का 0.37 डी0 भूमि विक्रय संलेख सं0–12839 एवं 12840 दिनांक–02.11.2001 द्वारा अपीलार्थी सं0–02 एवं 03 मथाई सोरेन तथा जोहन मरांडी के पास बिक्री की गई। ये दखलकार रहते हुए भू–लगान दे रहे हैं। उत्तरवादी सं0–02 के द्वारा जाली लालकार्ड के आधार पर उक्त भूमि पर दावा किया जा रहा है। अपीलार्थी की भूमि पूर्व में ही सिलिंग प्रक्रिया से मुक्त है। उत्तरवादी सं0–02 के अवैध क्रियाकलाप के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष आवेदन दिया गया जिसमें इनके पक्ष में आदेश पारित है। इतना ही नहीं आवेदक द्वारा सरपंच, ग्राम कचहरी पोठिया रामपुर के समक्ष उक्त भूमि से संबंधित वाद सं0–14/2016 दायर किया गया जिसमें इनके पक्ष में आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत् एवं न्यायोचित नहीं है। उत्तरवादी द्वितीय पक्ष द्वारा अपीलार्थी के कथनों का समर्थन किया गया है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादी सं0–02 भगवान हाँसदा के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि ये आदिवासी समुदाय के भूमिहीन व्यक्ति हैं। जिन्हें प्रश्नगत भूमि लालकार्ड के माध्यम से प्राप्त है। अपीलार्थी के द्वारा क्रय की गई भूमि लालकार्ड से संबंधित नहीं है बल्कि भू–स्वामी की युनिट में प्राप्त भूमि है। प्रश्नगत खाता खेसरा का कुल रकवा–6.30 डी0 है। जिसमें से 3.07 डी0 अधिशेष घोषित होते हुए 01 एकड़ 02 डी0 भूमि का लालकार्ड इनके पक्ष में निर्गत है। अपीलार्थी द्वारा इन्हें उक्त भूमि से बेदखल किये जाने के विरूद्ध इनके द्वारा निम्न न्यायालय में दखल दिलाने हेतु उक्त वाद दायर किया गया था। सरकार द्वारा उक्त खाता खेसरा से भूस्वामिनी सुमित्रा देवी पति–श्यामानंद सिंह की 03 एकड़ 07 डी0 भूमि सिलिंग वाद सं0–04/1984–85 द्वारा अधिशेष घोषित करते हुए प्रश्नगत भूमि इन्हें लालकार्ड से प्राप्त है। अपीलार्थी द्वारा इन्हें	

Web Copy, Not Official.

		गलत तरीके से बेदखल किया गया है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण प्रश्नगत भूमि पर केवालादार की हैसियत से तथा उत्तरवादी प्रथम पक्ष बंदोबस्ती परवाना के आधार पर दावा कर रहे हैं। अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत खाता–खेसरा की भूमि क्रमशः	
	लगातार 03.08.2023	अपीलार्थी सं0–01 से 03 द्वारा तीन विक्रय संलेख के माध्यम से प्रत्येक 0.37 डी0 भूमि वर्ष 1961 के क्रेता गुलटेन महतो के पुत्र मुसहरू महतो से दिनांक–02.11.2001 को क्रय कर दखलकार होते हुए नामांतरण कराकर भू–लगान भुगतान किया जा रहा है। उक्त भूमि की जमाबंदी इनके पक्ष में दर्ज है एवं अद्यतन भू–लगान भुगतान है। वर्त्तमान में भी प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थीगण का दखल–कब्जा है। अपीलार्थियों द्वारा समर्पित दस्तावेजों में अंचल अधिकारी, के0नगर, पूर्णिया का पत्रांक–92 दिनांक–25.01.1998 द्वारा विविध सिलिंग वाद सं0–687/1990–91 (जय नारायण यादव एवं अन्य बनाम बिहार सरकार) में विधि प्रशाखा, पूर्णिया को समर्पित जाँच प्रतिवेदन की कंड़िका–5 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वाद सं0–04/1984–85 मौजा–प्रसादपुर/130 खाता सं0–69, खेसरा सं0–823, रकवा–1.00 एकड़ भूमि भगवान हाँसदा पिता–पीठा हाँसदा के नाम लाल कार्ड वितरित है। उक्त प्रतिवेदन की कंडिका–3(ii) में वर्णित है कि भगवान किस्कू पिता–दुर्गा किस्कू को प्रश्नगत खाता–खेसरा से 1.02 एकड़ भूमि बंदोबस्त की गई है। जिससे अपीलार्थियों के दावे की पुष्टि होती है कि प्रश्नगत भूमि भगवान हाँसदा को बंदोबस्त नहीं है। इसी प्रकार अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया द्वारा सिलिंग वाद सं0–57/1973–74 (राज्य बनाम निर्मला देवी) में दिनांक–16.08.1983 को पारित आदेश की कंडिका–14 में प्रश्नगत खाता–खेसरा से कुल–1.56 एकड़ भूमि गुलटेन महतो के पक्ष में वर्ष 1966 एवं 1975 में निर्गत भू–लगान के आलोक में क्रेता का दखल–कब्जा प्रमाणित पाते हुए उसकी मान्यता दी गई है। इससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि अधिशेष मुक्त है। अभिलेख में संलग्न अंचल अधिकारी, के0नगर के ज्ञापांक–327 दिनांक–26.07.2019 द्वारा प्रश्नगत तीनों विक्रय संलेखों की भूमि की मापी अंचल अमीन से करायी गई है जिसके नापी प्रतिवेदन में उत्तरवादी भगवान हाँसदा पिता–पीठा हाँसदा को खेसरा सं0–823 से बंदोबस्त होना प्रतिवेदित है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर उत्तरवादी प्रथम पक्ष का दावा वैध प्रतीत नहीं होता है। निम्न न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है। अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को विधिसम्मत् एवं न्यायोचित नहीं पाते हुए निरस्त किया जाता है। अपील आवेदन स्वीकृत।	

Web Copy. Not Official.

		इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.